

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I— खण्ड 1
PART I— Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली शनिवार, फरवरी 3, 1979/माघ 14, 1900
No. 39] NEW DELHI SATURDAY FEBRUARY 3, 1979/MAGHA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

बिस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

सं. प्रीतअदायगी/सा. सू. 18/79

सं. प्रीतअदायगी/सा. सू. 18/79

सार्वजनिक सूचना

[नौसक सं. 602/1/79-डी.पी.के.].—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदा-
यगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रका-
शित अधिसूचना सं. 52/फा. मं. 602/2/70-प्र. अ.) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार
समय-समय पर, यथामंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रीतअदायगी/सा. सू. 1, दिनांक

15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती

उपक्रमांक 3903 के अन्तर्गत निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाएगी,
अर्थात् :—

“टिप्पणी :—उप-क्रमांक 3903 के अन्तर्गत प्रतिअदायगी की उपर्युक्त वर में
इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री, यदि कोई हो, पर प्रतिअदायगी शामिल
नहीं है।”

के. एस. वेंकटरमानी, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 3rd February, 1979

NO. DRAWBACK/PN-18/79

PUBLIC NOTICE

[F. No. 602/1/79-DBK].—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 13th October, 1971 as amended from time to time :—

Under Sub-serial No. 3903, the Following Note shall be inserted, namely :—

“Note :—The above rate of drawback under sub-serial No. 3903 is exclusive of drawback on packing materials used, if any.”

K. S. VENKATARAMANI, Dy. Secy.